

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खकनार, जिला बुरहानपुर

केश कर्तन कार्य हेतु निविदा के लिए दिशा निर्देश

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

1. कार्य का स्वरूप

विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं के लिए समय-समय पर केश कर्तन की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। केश कर्तन स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं निर्धारित शैली अनुसार की जानी चाहिए।

2. पात्रता

केवल वे पक्षकार आवेदन करें जिनके पास विद्यालय/संस्थान में इसी प्रकार की सेवा का अनुभव हो।

आवेदक का कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न हो।

निविदा भरने की तिथि दिनांक 20/09/2025 से 05/10/2025 तक होगी तथा निविदा को खोलने की तिथि 07/10/2025 होगी एवं निविदा को खोलने का स्थान विद्यालय परिसर होगा।

3. सेवा की अवधि

अनुबंध की अवधि प्रारंभिक रूप से 10 माह का होगा, जिसे विद्यालय प्रशासन की संतुष्टि पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

4. दरें (Rates)

स्कूल वेबसाइट emrshaknar.org में दिए गए फॉर्मेट में केश कर्तन हेतु दर प्रस्ताव (quotation) प्रति छात्र/छात्राओं के मान से स्पष्ट रूप से लिखकर प्रस्तुत किया जाए।

5. गुणवत्ता एवं स्वच्छता

कार्य हेतु प्रयोग होने वाले उपकरण (कैंची, मशीन, कंघी आदि) स्वच्छ एवं स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

प्रत्येक विद्यार्थी की केश कर्तन से पहले एवं बाद में उपकरणों की सफाई/सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा।

6. समय सीमा

केश कर्तन कार्य विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार करना होगा।

अनुपस्थिति या देरी की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

7. भुगतान

कार्य पूर्ण होने के बाद मासिक/त्रैमासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।

भुगतान केवल कार्य की संतुष्टि उपरांत किया जाएगा।

8. अनुबंध समाप्ति

यदि सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो विद्यालय प्रबंधन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

9. जमानत राशि (Security Deposit)

सफल निविदाकार को अनुबंध प्रारंभ होने से पूर्व ₹ 2000 राशि जमानत (Security Deposit) के रूप में जमा करनी होगी। जो कि प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खकनार, (सातपायरी), तहसील- नेपानगर, जिला - बुरहानपुर (म. प्र.) 450221 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या विद्यालय खाता संख्या में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

10. अन्य शर्तें

विद्यालय प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका निपटारा जिला बुरहानपुर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खकनार, (सातपायरी), तहसील- नेपानगर, जिला - बुरहानपुर (म. प्र.)

निविदा केश कर्तन (Quotation) हेतु सत्र 2025-26

फर्म का नाम

धरोहर राशि ड्राफ्ट नं. दिनांक..... राशि.....

क्र	विवरण	दर
1.	छात्र के केश कर्तन	
2.	छात्राओं के केश कर्तन	

नोट : छात्र/ छात्राओं की कटिंग विद्यालय में आकर करना होगी |

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पता

फोन नंबर